अंक 12 जुलाई 2019

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

विषय वस्तु

- बाढ़ प्रबंधन पर कार्यशाला
- जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन
- देश में बाढ़ की स्थिति
- सोनई सिंचाई परियोजना, असम
- त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन
- एनएचपी के लिए एचआईएसएमजी की बैठक
- नदियों की आकृतिकी अध्ययन
- डीवीवीआरसी की 141वीं बैठक
- एनसीएसडीपी की 35वीं बैठक
- चीन के साथ ईएलएम की बैठक
- अरुण-III, एचईपी, नेपाल का दौरा
- एनआरएलडी का विमोचन
- डब्ल्यूआरडीसी, बीआईएस की 19वीं बैठक
- मुल्लापेरियार बांध का दौरा
- परवन बहुद्देशीय परियोजना
- गरार्दा मध्यम सिंचाई परियोजना
- ब्राह्मणी-बैतरणी के लिए आईडबल्यूआरएम
- आईसीओएलडी की 87वीं वार्षिक बैठक
- दीर्घा
- दौरे और बैठकें
- एनएबीएल प्रमाणन
- राज्यों के समाचार
- जल क्षेत्र- समाचार
- राज्यों की पहल
- सेवानिवृत्ति
- इतिहास से

संदेश

अरुण कुमार सिन्हा
अध्यक्ष, के.ज.आ.

हम देख रहे हैं कि जल, लोक विमर्श के साथ-साथ सरकार के भीतर चर्चा और कार्रवाई के केंद्र बिन्दु में आ रहा है. आगामी मानसून के दौरान विभिन्न उपाय के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण के लिए माननीय प्रधान मंत्री ने 08.06.2019 के अपने पत्र के माध्यम से देश के सभी सरपंचों को संबोधित किया. उन्होंने उनसे जल संरक्षण अभियान को लोगों का अभियान बनाने का भी अनुरोध किया, जैसा कि स्वछता के लिए किया गया है. इसके अलावा, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की पांचवीं बैठक 15.06.2019 को आयोजित की गई थी, जिसमें पांच एजेंडा में से दो यानी रेन-वाटर हार्वेस्टिंग और सूखा स्थिति और राहत उपाय जल क्षेत्र से संबंधित थे.

जलसंचय पर माननीय प्रधान मंत्री की प्रेरणा से प्रेरित होकर, जल शक्ति अभियान (जेएसए) की परिकल्पना की गई है जो, एक समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान है. अभियान के दौरान, भारत सरकार के अधिकारी, जल विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भारत के जल-संकटग्रस्त जिलों में राज्य और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे. जेएसए का उद्देश्य जल संपत्ति के निर्माण और व्यापक संचार के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना है. सरकार की इस पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग के 100 से अधिक अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है.

केंद्रीय जल आयोग ने संबंधित पहलुओं पर हितधारक परामर्श के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए 26.06.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में बाढ़ प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. कार्यशाला का उद्घाटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा श्री रतन लाल कटारिया, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, आईएमडी, एडीबी और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों आदि की उपस्थिति में किया गया. यह उन कार्यशालाओं की श्रृंखला में पहली है जो 1945 में केंद्रीय वाटरवेज सिंचाई और नेविगेशन आयोग (सीडबल्यूआईएनसी) के रूप में अस्तित्व में आए के.ज.आ. की स्थापना के 75 वर्षों के स्मरणोत्सव के लिए आयोजित की जा रही हैं. कार्यशाला के दौरान, दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए; पहले में बाढ़ पूर्वानुमान जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर जोर दिया गया, जबकि दूसरा बाढ़ प्रबंधन के लिए संरचनात्मक उपायों के लिए समर्पित था. उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान, माननीय मंत्री (जल शक्ति) द्वारा "स्पेस इनपुट का उपयोग करके भारत में जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन" की रिपोर्ट भी जारी की गई. यह अध्ययन के.ज.आ. द्वारा एनआरएससी, हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से किया गया. देश के सभी 20 घाटियों के औसत वार्षिक जल संसाधन का आकलन 1999.20 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के रूप में किया गया है. उपरोक्त के अलावा, जून-2019 के दौरान बड़े बांध के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी)-2019 भी जारी किया गया, जो देश में 5700 से अधिक बड़े बांधों का संकलन है.

श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. और श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. क्रमशः 37 और 35 वर्षों की लंबी और शानदार सेवा के बाद 30.06.2019 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए. के.ज.आ. की ओर से, मैं उनके स्वस्थ और सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन के लिए अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूं.

अध्यक्ष, के.ज.आ. के पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद सूचनापत्र का यह पहला अंक है, अतः मैं पाठकों से इसके निरंतर सुधार के लिए अपना सुझाव देने का अनुरोध करता हूँ.

जल शक्ति अभियान
संचय जल, बेहतर कल

जल शक्ति अभियान (जेएसए) की परिकल्पना समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में की गई है

के.ज.आ., मुख्यालय में 26.06.2019 को "स्पेस इनपुट का उपयोग करके भारत में जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन" पर रिपोर्ट जारी

बाढ़ प्रबंधन पर कार्यशाला

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के आकलन के अनुसार कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर है. यद्यपि बाढ़ से पूर्ण प्रतिरक्षा हासिल करना संभव नहीं है लेकिन संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों के विवेकपूर्ण मिश्रण को अपनाकर इसे उचित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है. बाढ़ पूर्वानुमान महत्वपूर्ण गैर-संरचनात्मक उपायों में से एक है जो मुख्य रूप से के.ज.आ. द्वारा पिछले 60 वर्षों से किया जा रहा है.

सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में हितधारकों के साथ विचार-विमर्श व बाढ़ प्रबंधन के बारे में हितधारक परामर्श के माध्यम से और सुधार के उपायों की पहचान करने के लिए के.ज.आ. ने 26.06.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में बाढ़ प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया. 1945 में केंद्रीय वाटरवेज सिंचाई और नेविगेशन आयोग (सीडबल्यूआईएनसी) के रूप में अस्तित्व में आए के.ज.आ. की स्थापना के 75 वर्षों के स्मरणोत्सव के लिए आयोजित होने वाली कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह पहला आयोजन है.

कार्यशाला का उद्घाटन श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा श्री रतन लाल कटारिया, माननीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, श्री यू.पी. सिंह, सचिव, ज.सं.न.वि. एवं गं.सं.वि., के.ज.आ., गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, आईएमडी, एडीबी और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों आदि की उपस्थिति में किया गया. इस आयोजन का उद्घाटन करते हुए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और मानसून की अप्रत्याशितता की चुनौतियाँ देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बनकर उभरी हैं और सूखा व बाढ़ दोनों की चुनौतियों से लड़ने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है. उन्होंने आगे कहा कि के.ज.आ. के विशिष्ट ज्ञान का लाभ उठाया जाना चाहिए और व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए आगे बढ़ना चाहिए.

इस अवसर पर बोलते हुए राज्य मंत्री, श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि भारत में असम और उत्तर बिहार जैसे राज्य हर साल बाढ़ का सामना करते हैं लेकिन नई तकनीक के आने के साथ, के.ज.आ. 3 से 4 दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हो सकता है. उन्होंने कहा, दोषपूर्ण नियोजन के कारण, हमारे कई शहर मॉनसून के दौरान जल-भराव की समस्या का सामना करते हैं और अपील की कि स्थानीय निकायों को इस चुनौती के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में काम करना चाहिए.
कार्यशाला के दौरान, दो तकनीकी सत्र आयोजित किए गए; पहले ने बाढ़ के पूर्वानुमान जैसे गैर-संरचनात्मक उपायों पर जोर दिया, जबकि दूसरा बाढ़ प्रबंधन के लिए संरचनात्मक उपायों के लिए समर्पित था.

तकनीकी सत्र -1: बाढ़ प्रबंधन के लिए गैर-संरचनात्मक उपाय

- बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली - के.ज.आ.
- केंद्रीय जल आयोग में आप्लावन मॉडलिंग - के.ज.आ.
- हाइड्रोलॉजिकल पूर्वानुमान के लिए मौसम संबंधी पूर्वानुमान में समकालीन विकास - आईएमडी
- बाढ़ पूर्वानुमान पहल - गूगल

तकनीकी सत्र -2: बाढ़ प्रबंधन के लिए संरचनात्मक उपाय

- गंगा बेसिन में बाढ़ प्रबंधन -जीएफसीसी
- स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना जिला. ऊना (हि.प्र.) - हि.प्र. सरकार
- माजुली द्वीप के संरक्षण के लिए संरचनात्मक हस्तक्षेप- ब्रह्मपुत्र बोर्ड
- उन्नत और लचीली नदी ट्रेनिंग और संरक्षण कार्य- मकाफेरी
- असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एकीकृत बाढ़ प्रबंधन कार्य- एडीबी

अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करके भारत में नदी घाटियों की जल उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन

माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा बाढ़ प्रबंधन पर कार्यशाला के दौरान 26.06.2019 को अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग करते हुए "भारत में रिवर बेसिन के जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन" के लिए अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई.

देश में जल संसाधनों की उचित योजना, विकास और प्रबंधन के लिए जल संसाधन मूल्यांकन (डब्ल्यूआरए) एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. देश में औसत वार्षिक जल संसाधनों के मूल्यांकन के लिए यह अध्ययन केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से किया गया है. अत्याधुनिक मॉडलिंग टूल और सैटेलाइट डेटा का उपयोग करते हुए देश के सभी 20 बेसिनों के औसत वार्षिक जल संसाधन का आकलन 1999.20 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) के रूप में किया गया है.

सीडब्लूएससी, एनआरएससी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) और एकेडेमिया के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन की पद्धति को अंतिम रूप दिया गया था. अध्ययन की सबसे विशिष्ट विशेषता एनआरएससी द्वारा विकसित 'जल मूल्यांकन उपकरण' (डब्ल्यूआरएटी) साफ्टवेयर की सहायता से वर्षा, भूमि उपयोग, भूमि कवर, मांग का उचित अनुमान, वाष्पीकरण, मिट्टी की नमी को शामिल करते हुए बेसिन और उप-बेसिन वार मॉडल का विकास है. इस अध्ययन के परिणाम देश के जल संसाधनों की उचित योजना और विकास के लिए बहुत उपयोगी होंगे. रिपोर्ट को निम्न यूआरएल से प्राप्त किया जा सकता है:

http://cwc.gov.in/sites/default/files/main-report.pdf

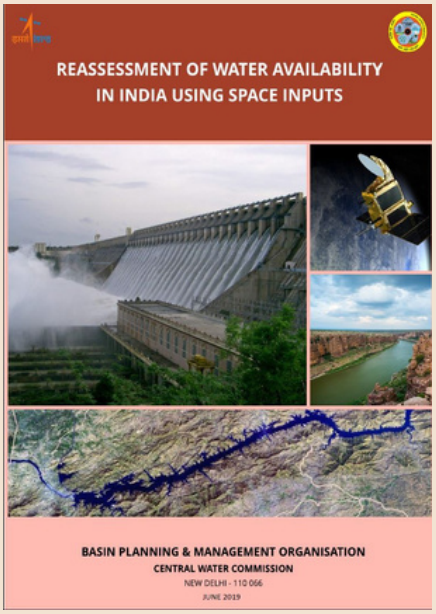

देश में बाढ़ की स्थिति

केंद्रीय जल आयोग अपने क्षेत्रीय मंडलों के माध्यम से हर साल बाढ़ के मौसम के दौरान वास्तविक समय के आधार पर हाइड्रोलॉजिकल और हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल डेटा एकत्र करता है. इन आंकड़ों का उपयोग करते हुए 325 स्थानों (197 स्तर और 128 इन्फ्लो पूर्वानुमान स्टेशनों) के लिए बाढ़ / प्रवाह पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों को प्रसारित किए जाते हैं. के.ज.आ. स्टेशनों के नेटवर्क से एकत्र किए गए आंकड़ों के अलावा भारतीय मौसम विभाग से प्राप्त मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान (क्यूपीएफ) का उपयोग भी बाढ़ के पूर्वानुमान तैयार करने में किया जाता है.

ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 01.05.2019 को शुरू हुई. 1 मई से 30 जून 2019 की अवधि के दौरान 437 बाढ़ पूर्वानुमान (437 स्तर और 0 इन्फ्लो) जारी किए गए. बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों में कहीं भी चरम बाढ़ स्थिति नहीं देखी गई. अन्य बाढ़ श्रेणी के लिए स्थिति को नीचे संक्षेपित किया गया है.

बाढ़ श्रेणी	एफ़एफ़ स्टेशन पर बाढ़ की घटना	राज्य
गंभीर	6	3 (बिहार, असम, उत्तर प्रदेश)
सामान्य से ऊपर	22	5 (अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर)

सोनई सिंचाई परियोजना, असम

सोनई सिंचाई परियोजना, असम की डीपीआर को सीडब्ल्यूसी द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), सिलचर और अन्य विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ मिलकर "नदी बेसिन प्रबंधन योजना" के घटक "जल संसाधन विकास (आईईआरडीआर) परियोजना की अन्वेषण" के तहत तैयार किया गया है. डीपीआर 31.05.2019 को राज्य सरकार को सौंप दी गई है. 10850 हेक्टेयर सीसीए वाली यह परियोजना एक वृहत सिंचाई परियोजना है जिसमें पीने के पानी और मछली पालन, पशुपालन आदि से जुड़े अन्य लाभ भी हैं जिसमें सोनई नदी पर 170 मीटर के एक बैराज के निर्माण की परिकल्पना की गई है. 160% की सिंचाई की तीव्रता के साथ अधिकतम सिंचाई क्षमता 17360 हेक्टेयर है.

एसएंडआई और डीपीआर की तैयारी के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

त्रिपुरा में चंपकनगर के पास हौरा नदी के ऊपरी कैचमेंट पर और चम्पाबारी के पास चम्पई चेर्रा पर बांधों के निर्माण के लिए डीपीआर बनाने के लिए 20.06.2019 को मुख्य अभियंता(डबल्यूआर), लोक निर्माण विभाग, त्रिपुरा सरकार और मुख्य अभियंता, ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन संगठन, केंद्रीय जल आयोग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए.

चंपई चेर्रा और हौरा नदियाँ तिताश नदी की छोटी सहायक नदियाँ हैं जो बांग्लादेश के कोमिला जिले में निकलती है. केवल इसका प्रारंभिक भाग त्रिपुरा के क्षेत्र से गुजरता है. हौरा उप-बेसिन पश्चिम त्रिपुरा में राज्य के पश्चिमी भाग की ओर स्थित है. यह उप बेसिन पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, उत्तर में खोवाई उप-बेसिन और दक्षिण में बुरिमा (बुरीगंग) उप-बेसिन से घिरा हुआ है. भारतीय क्षेत्र में हौरा नदी प्रणाली का जलग्रहण क्षेत्र 499 वर्ग किलोमीटर है. इस जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 50 वर्ग कि.मी. किमी. पहाड़ियों के कैचमेंट और 438 वर्ग किलोमीटर जो कुल जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 89.80% है, मैदानी इलाकों में स्थित है.

एनएचपी के लिए एचआईएसएमजी की बैठक

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की गतिविधियों की निगरानी के लिए पुनर्गठित जल विज्ञान सूचना प्रणाली प्रबंधन समूह (एचआईएसएमजी) की पहली बैठक सदस्य(आरएम), के.ज.आ. की अध्यक्षता में 03.06.2019 को आयोजित की गई. समूह ने गूगल के साथ सहयोग, ब्रह्मपुत्र बेसिन में फ्लड आप्लावन मॉडलिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के विकास, उद्देश्य चालित अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, हाइड्रो-मेट नेटवर्क को अंतिम रूप देने की स्थिति, रीयल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटीडीएएस) की स्थापना, एचपी-I और एचपी-II के तहत विकसित विभिन्न नियमावली और दिशानिर्देशों का अद्यतन की स्थिति, उपकरण के तकनीकी विनिर्देश इत्यादि पर चर्चा की. के.ज.आ., राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई, एनआरएससी, आईएमडी, सीजीडबल्यूबी, एनडबल्यूआईसी, सीडबल्यूपीआरएस, एनआईएच, विश्व बैंक और उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात और सिक्किम आदि राज्य सरकार के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया.

नदियों का आकृतिकी अध्ययन

वर्तमान में के.ज.आ. विभिन्न आईआईटी/एनआईटी के माध्यम से देश में 15 नदियों के आकृतिकी अध्ययन कर रहा है.

इनमें से हुगली, महानंदा और महानदी नदियों का अध्ययन आईआईटी खड़गपुर द्वारा किया जा रहा है. के.ज.आ. और आईआईटी, खड़गपुर ने संयुक्त रूप से 19.06.2019 को आईआईटी, खड़गपुर में एक प्रसार कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें राज्य सरकार, नदी अनुसंधान संस्थान, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट आदि के अधिकारियों की भागीदारी देखी गई. सभी हितधारकों की टिप्पणियों / सुझावों को शामिल करने के बाद अंतिम रिपोर्ट जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी.

डीवीआरआरसी की 141वीं बैठक

श्री आर.के. सिन्हा, सदस्य(आरएम), के.ज.आ. और अध्यक्ष, डीवीआरआरसी की अध्यक्षता में दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) की 141वीं बैठक 13.06.2019 को मैथन में आयोजित की गई. बैठक में केंद्रीय जल आयोग, दामोदर घाटी निगम, झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समिति ने दामोदर बेसिन के समग्र विकास और प्रबंधन के बारे में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की.

बैठक के दौरान दामोदर बेसिन में अन्य डीवीसी जलाशयों के साथ तेनुघाट जलाशय का एकीकृत विनियमन, तेनुघाट जलाशय क्षेत्र में शेष भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, तेनु-बोकारो लिंक चैनल की क्षमता बढ़ाने, तेनुघाट जलाशय के लिए सहमत गाइड वक्र का कार्यान्वयन और बालपहाड़ी बांध के बहु-जलाशय सिमुलेशन अध्ययन के लिए डेटा को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई. दुर्गापुर सिंचाई प्रणाली के आधुनिकीकरण और लोअर दामोदर चैनल की क्षमता बढ़ाने के लिए "पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना" की स्थिति, भौतिक मॉडल के द्वारा दुर्गापुर बैराज के अवसादन अध्ययन और बैराज के फाटकों के मरम्मत / प्रतिस्थापन और संरचनात्मक पुनर्वास की स्थिति पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया. डीवीसी द्वारा नगरपालिका और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल उपयोग की ऑनलाइन निगरानी की स्थिति, दुर्गापुर नहर के पानी के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन और गाद हटाने

की स्थिति प्रस्तुत की गयी. बैठक में दामोदर बेसिन में नगरपालिका और औद्योगिक आपूर्ति के लिए आवंटन प्रस्तुत किए गए एवं 3 नई फर्मों / संगठनों नामतः डबल्यूबीडीडबल्यूएसआईपी के अंतर्गत बांकुरा जलापूर्ति परियोजना (चरण- II) (15.55 एमजीडी), वेंकटेश आयरन एंड अलॉयस इंडिया लिमिटेड (0.364 एमजीडी) और रेनबांध जलापूर्ति परियोजना, पुरुलिया (1.56 एमजीडी) के लिए नए जल आवंटन किए गए.

एनसीएसडीपी की 35वीं बैठक

सदस्य(डीएंडआर), के.ज.आ. ने 19.06.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित एनसीएसडीपी की 35वीं बैठक की अध्यक्षता की.

इस बैठक में साइट के अनुसार चार परियोजनाओं के विशिष्ट भूकंपीय डिजाइन पैरामीटर्स को अनुमोदित किया गया और एनसीएसडीपी दिशानिर्देशों के विभिन्न मुद्दों, एसएचएएसवाईएस सॉफ्टवेयर आदि पर चर्चा की गयी. बैठक में केंद्र व राज्य सरकार के विभाग/परियोजना के लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया.

चीन के साथ विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (ईएलएम) बैठक

श्री टी.एस. मेहरा, आयुक्त(बीएंडबी), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रुप लीडर, भारतीय पक्ष एवं श्री यू जिंगजुन, निरीक्षक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल संसाधन मंत्रालय, ग्रुप लीडर, चीनी पक्ष द्वारा 12वीं ईएलएम बैठक के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर

भारत और चीन के बीच ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर सहयोग के लिए 12वीं एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म (ईएलएम) की बैठक 12 से 13 जून 2019 के दौरान अहमदाबाद में हुई. प्रतिनिधिमंडल ने 14.06.2019 को गुजरात के केवडिया में सरदार सरोवर परियोजना और एकता की प्रतिमा का भी दौरा किया.

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री टी.एस. मेहरा, आयुक्त(बीएंडबी), जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया. बैठक में चीनी पक्ष की तरफ से ग्यारह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल और भारतीय पक्ष से नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया.

12वीं ईएलएम बैठक के दौरान श्री बी.के. करजी, मुख्य अभियंता, एफ़एमओ, के.ज.आ. और श्री यांग हुई, महानिदेशक, जल विज्ञान और जल संसाधन सर्वेक्षण ब्यूरो, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन द्वारा कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर

अरुण-III, एचईपी, नेपाल का दौरा

श्री एन.के. माथुर, सदस्य(डीएंडआर) के नेतृत्व में के.ज.आ. के अधिकारियों की एक टीम ने 07 से 11 जून 2019 तक अरुण -III हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (900 मेगावाट), नेपाल का दौरा किया और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. टीम ने विभिन्न मुद्दों पर एसजेवीएनएल के अधिकारियों, परियोजना इंजीनियरों के साथ चर्चा की. परियोजना को एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है और के.ज.आ. एक अनुचर सलाहकार के रूप में डिजाइन और इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान कर रहा है.

कोसी नदी की सहायक नदी अरुण नदी से 900MW बिजली उत्पादन के उद्देश्य से नेपाल में अरुण-III हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है. अरुण-III एचईपी को नेपाल सरकार द्वारा बीओओटी आधार पर एसजेवीएनएल को प्रदान किया गया है. सीईए ने जुलाई 2013 मूल्य स्तर के आधार पर रु. 5667.59 करोड़ की अनुमानित लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है. यह आरओआर परियोजना सबसे गहरे बेड स्तर से 70 मीटर ऊंचे बांध के निर्माण की परिकल्पना करती है जो 13.94 एमसीएम पानी संग्रहित करेगा. 11.78 किमी लंबी और 9.5 मीटर व्यास की हेड रेस टनल के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा. परियोजना में 225 मे.वा. के 4 टर्बाइनों के लिए एक भूमिगत बिजली घर प्रस्तावित है. इसमे एक ओपन टू स्काई सर्ज टैंक भी होगा.

2017-18 में कार्यों को मुख्य रूप से 4 पैकेजों में प्रदान किया गया है. दो पैकेज सिविल कार्यों के लिए हैं, एक हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए और एक इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए है. कार्य 2023 तक पूरा होने वाले हैं. एसजेवीएनएल की नेपाल सरकार के साथ सहमति के अनुसार, व्यावसायिक उत्पादन की तिथि जुलाई 2023 के रूप में प्रस्तावित है. वर्तमान में, परियोजना निर्माण के प्रारंभिक चरण में है जिसमें बांध की धुरी पर उत्खनन, डायवर्सन टनल, सर्ज शाफ्ट और बिजलीघर का निर्माण शुरू किया गया है. एचआरटी और एडिट्स का निर्माण भी प्रगति पर है.

बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी) का विमोचन

के.ज.आ. के अध्यक्ष और सदस्यों, अध्यक्ष, जीएफसीसी, अध्यक्ष, जीआरएमबी ने 28.06.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में एनआरएलडी-2019 जारी किया.

बड़े बाँधों की संख्या के मामले में भारत, चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर है. संकलित नवीनतम जानकारी के अनुसार, देश में लगभग 5745 बड़े बांध हैं, जिनमें से 5334 बड़े बाँध पूर्ण हैं और अन्य 411 निर्माणाधीन अवस्था में हैं. ये बांध राष्ट्र के जल संसाधन विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस देश की उपलब्ध सतही जल क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए इस तरह के कई और बांधों का निर्माण किया जाना आवश्यक है.

बड़े बांध देश की महत्वपूर्ण जल संपत्ति हैं और इसकी सूची इसकी उचित निगरानी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है. के.ज.आ. ने इनकी मुख्य विशेषताएं, जिनमें आयु, ऊंचाई, जलाशय की भंडारण क्षमता, स्पिलवे क्षमता शामिल हैं और जो बड़े बांधों के सार्थक निरीक्षण के लिए आवश्यक डेटा हैं को संग्रहित और संकलित करके अप्रैल 1990 में "नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम" शीर्षक से इसका पहला प्रकाशन किया था. इस प्रकाशन में दिसंबर 1989 तक 3634 बांधों की सूचना थी. इसके बाद एक अद्यतन संस्करण दिसंबर 1994 में प्रकाशित हुआ था जिसमें 4291 बांधों की सूचना थी. इसके बाद भारत के सभी बड़े बांधों का एक डेटा बेस के.ज.आ. में विकसित किया गया था. जब और राज्यों और अन्य एजेंसियों से जानकारी प्राप्त की जाती है तो यह डेटा लगातार अपडेट किया जाता है और संबंधित राज्यों / संगठनों से समय-समय पर इसकी जानकारी भी ली जाती है.

अब 29 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले 5745 बांधों सहित राष्ट्रीय महत्व के 75 बांधों की सूचना जून 2019 तक संकलित किया गया है और इस प्रकाशन में प्रमुख परिवर्धन, परिवर्तन / सुधार और जानकारी के अद्यतन के साथ लाया गया है. यह पहली बार है जब एनआरएलडी को डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लिकेशन (डीएचएआरएमए) के माध्यम से निर्मित किया गया, जो देश में सभी बांधों के लिए संपत्ति और स्वास्थ्य डेटा के प्रभावी संग्रह और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए वेब-आधारित परिसंपत्ति प्रबंधन सॉफ्टवेयर है. डीएचएआरएमए के लाइसेंस लगभग सभी बांध स्वामित्व एजेंसियों को वितरित किए गए हैं और इसमें वे बांध विवरणों को सीधे अपडेट / जोड़ सकते हैं और साथ ही बांध की स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं.

डब्ल्यूआरडीसी, बीआईएस की 19वीं बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने बीआईएस के जल संसाधन विभागीय परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) की 19वीं बैठक की अध्यक्षता 25.06.2019 को के.ज.आ., मुख्यालय नई दिल्ली में की. बैठक के दौरान डब्ल्यूआरडीसी, बीआईएस के विभिन्न आईएस कोड और अन्य कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई और समीक्षा की गई. बैठक में के.ज.आ., सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस, आईआईटी रुड़की आदि संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 40 सदस्यों ने भाग लिया.

डब्ल्यूआरडीसी जल संसाधन विकास और सभी उद्देश्यो के लिए जल संसाधनों के उपयोग को कवर करने वाली गतिविधियों के क्षेत्र में मानकीकरण से संबंधित है. डब्ल्यूआरडीसी मानक तैयार करने के लिए विषय क्षेत्रों का चयन, अनुभागीय समितियों का गठन करने और इसके दायरे, कार्यों, सदस्यों को परिभाषित करने, अनुभागीय समितियों की गतिविधियों के समन्वय, अनुसंधान और विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्ययन कार्य और स्थापित मानकों के कार्यान्वयन पर सलाह देती है. मानकों के फॉर्म्युलेशन / संशोधन करने से पहले डब्ल्यूआरडीसी के तहत विशिष्ट विषयों से संबन्धित विभिन्न अनुभागीय समितियों में चर्चा की जाती है. अंगीकरण और छपाई के लिए अध्यक्ष, के.ज.आ./डब्ल्यूआरडीसी द्वारा ड्राफ्ट कोड की स्वीकृति आवश्यक है.

मुल्लापेरियार बांध का दौरा

केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 07.05.2014 के आदेश के द्वारा मुख्य अभियंता, बांध सुरक्षा संगठन, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया. समिति के अन्य सदस्य अतिरिक्त मुख्य सचिव, डब्ल्यूआरडी, केरल सरकार और प्रमुख सचिव, पीडब्ल्यूडी, तमिलनाडु सरकार हैं. समिति समय-समय पर अनिवार्य रूप से बैठक करती है. समिति की 12वीं बैठक 04.06.2019 को श्री गुलशन राज, सीई, डीएसओ, के.ज.आ की अध्यक्षता में कुमिली में आयोजित की गई. समिति के सदस्य श्री. एस.के. प्रभाकर, आईएएस, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार और डॉ. बी. अशोक, आईएएस, सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार उनके अधिकारियों के साथ बैठक में शामिल हुए.

परवन बहुद्देशीय परियोजना

परवन परियोजना राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी पर स्थित सिंचाई सह पेयजल आपूर्ति परियोजना है. परवन नदी कालीसिंध नदी की एक सहायक नदी है जो चंबल नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है. परियोजना में 490 एमसीएम की सकल भंडारण क्षमता के साथ लगभग 38 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है, जिसमें से 50 एमसीएम राजस्थान के कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों के 820 गांवों में पीने के प्रयोजनों के लिए आपूर्ति की जाएगी. निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके लिए के.ज.आ. परियोजना के डिजाइन / आरेखण के पुनरीक्षण के लिए परामर्श प्रदान कर रहा है. हाल ही में, जीएसआई, जयपुर द्वारा मैपिंग रिपोर्ट अनुसार तीन बांध ब्लॉकों की नींव की विशेषताओं का आकलन करने के लिए, के.ज.आ., जीएसआई, सीएसएमआरएस के अधिकारियों की एक टीम द्वारा जल संसाधन विभाग, राजस्थान के अधिकारियों के साथ से मिलकर 20 से 21 जून 2019 के दौरान परियोजना साइट का दौरा किया गया है.

गरार्दा मध्यम सिंचाई परियोजना

गरार्दा मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के गरार्दा में 32.80 मीटर ऊँचा बांध है, जिसका उद्देश्य 9161 हेक्टेयर के कल्चरल कमांड एरिया में सिंचाई की सुविधा प्रदान करना है. बांध का निर्माण 2010 में पूरा हो गया था, लेकिन जब इसके जलाशय को पहली बार भरने का प्रयास किया जा रहा था तो डूंगरी नाले के पास मध्य भाग में लगभग 100 मीटर की लंबाई में यह टूट गया.

राजस्थान राज्य सरकार ने उसके पुनर्वास का कार्य किया है जिसके लिए के.ज.आ. डिजाइन परामर्श प्रदान कर रहा है. जियोसिंथेटिक्स का उपयोग करके मिट्टी के बांध का यह पुनर्वास कार्य भारत में अपनी तरह का पहला है. हाल ही में 20 से 21 जून 2019 के दौरान, के.ज.आ., जीएसआई, और सीएसएमआरएस के अधिकारियों द्वारा साइट का दौरा किया गया.

ब्राह्मणी-बैतरणी के लिए आईडबल्यूआरएम

ब्राह्मणी बैतरणी एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडबल्यूआरएम) चरण 2 के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए ब्राह्मणी बैतरणी आईडबल्यूआरएम चरण-II के संचालन समिति की पहली बैठक सदस्य (डबल्यूपीएंडपी) की अध्यक्षता में के.ज.आ., मुख्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की गयी. बैठक में एनआरएससी और के.ज.आ. के अधिकारियों के साथ सह-बेसिन राज्य के अधिकारियों ने भाग लिया.

आईसीओएलडी की 87वीं वार्षिक बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने भारत पर विशेष सत्र के दौरान सभा को संबोधित करते हुए, बड़े बांधों के पुनर्वास में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला

बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग (आईसीओएलडी) एक गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो बांध इंजीनियरिंग में ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है. हर साल, आईसीओएलडी एक चयनित देश में एक वार्षिक बैठक और संगोष्ठी आयोजित करता है. कनाडा के डैम एसोसिएशन ने बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की 87वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी कनाडा की राजधानी ओटावा में की. अध्यक्ष, के.ज.आ. ने आईसीओएलडी की 87वीं वार्षिक बैठक और ओटावा, कनाडा में आयोजित "विश्व के सतत और सुरक्षित बड़े बांध" अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए 14.06.2019 को कनाडा का दौरा किया.

अन्य अधिकारियों के अलावा, श्री बिक्रम पात्रा, उप निदेशक, के.ज.आ. ने संगोष्ठी के दौरान "भारत में इडुक्की बांध की विस्तृत जांच और फाइनाइट एलीमेंट एनालिसिस" पर प्रस्तुति दी.

श्री प्रमोद नारायण, निदेशक, के.ज.आ. "डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट" पर प्रस्तुति देते हुए

गैलरी-के.ज.आ. में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

लखनऊ

नई दिल्ली

हैदराबाद

फ़रीदाबाद

देहारादून

बंगलुरु

पुणे

कोलकाता

भुवनेश्वर

चंडीगढ़

दौरे एवं बैठक

डीआरआईपी के तहत दामोदर घाटी निगम के कोनार डैम के लिए "आपातकालीन कार्य योजना के कार्यान्वयन" पर एक दिवसीय हितधारकों की परामर्श बैठक 28.06.2019 को आयोजित की गई जिसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया

श्री एस.के. हलधर, सदस्य (डबल्यूपीएंडपी), के.ज.आ. और अध्यक्ष, उत्तर कोयल के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति ने के.ज.आ., वाप्कोस एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ 18 से 20 जून 2019 के दौरान उत्तर कोयल परियोजना के विभिन्न बाकी घटकों का दौरा किया

भारत-यूरोपीय संघ जल भागीदारी (आईईडबल्यूपी) के तहत, तापी नदी बेसिन समिति की पहली बैठक 18.06.2019 को आयोजित की गई. सीजीडब्ल्यूबी, राज्यों (महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात) के सदस्यों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के बीच इसकी अध्यक्षता मुख्य अभियंता(बीपीएमओ), के.ज.आ. ने की

एनएबीएल मान्यता

के.ज.आ. की जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के उद्देश्य से, कई प्रयोगशालाओं को आईएसओ / आईईसी 17025: 2017 के अनुसार एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुई है. जून, 2019 के दौरान, नागपुर में प्रयोगशाला को भी मान्यता दी गई है. अब, के.ज.आ. के पास देश भर में 12 एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएँ हैं.

राज्य से समाचार

राज्यपाल श्री ईएसएल नरसिम्हन, महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, श्री देवेंद्र फड़नवीस और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में मेदिगड्डा बैराज पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव ने 21.06.2019 को कालेश्वरम परियोजना का उद्घाटन किया.
इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 13 जिलों में 738851 हेक्टेयर का सीसीए है और यह विभिन्न परियोजनाओं के तहत 762028 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई को भी स्थिर करेगा. इसके अतिरिक्त, परियोजना हैदराबाद, सिकंदराबाद और गाँवों को 40 टीएमसी(1133 एमसीएम) पेयजल और 16 टीएमसी औद्योगिक जल भी प्रदान करेगी.

जल क्षेत्र से समाचार

- आसान नहीं है पूरे देश को पेयजल उपलब्ध कराना (हिन्दुस्तान, 01.06.2019)
- देश का 42 फीसद हिस्सा सूखाग्रस्त (राष्ट्रीय सहारा, 03.06.2019)
- दो साल में साफ हो जाएगी गंगा (दैनिक जागरण, 06.06.2019)
- मोदी सरकार को दिया राइट—टू—वाटर माडल (राजस्थान पत्रिका, 13.06.2019)
- मध्य प्रदेश—गुजरात के बीच नर्मदा जल को लेकर टकराव (राजस्थान पत्रिका, 14.06.2019)
- देश के प्रमुख जलाशयों में सिर्फ 18 प्रतिशत पानी, राजस्थान—छग में सामान्य से काफी कम (राजस्थान पत्रिका, 16.06.2019)
- सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना कल शुरू होगी (हिन्दुस्तान, 20.06.2019)
- यमुना के किनारे एक हजार एकड़ में जलाशय बनेगा (हिन्दुस्तान, 25.06.2019)
- नदी की सफाई के लिए यूपी सरकार को जमा करना होगा 100 करोड़ (राजस्थान पत्रिका, 26.06.2019)
- ग्लोबल वॉर्मिंग से गंगा का प्रवाह बढ़ा (हिन्दुस्तान, 26.06.2019)

राज्यों की पहल (जलमृता-कर्नाटक)

Jalamrutha
2019 YEAR OF WATER

28.02.2019 को कर्नाटक ने "जलमृता" नाम से एक बड़ी जल संरक्षण योजना शुरू की, जो कि सूखा-रोधी उपायों पर केंद्रित है और जिसमें जल निकायों का संरक्षण और पुनरुद्धार भी सम्मिलित है. इस योजना के तहत जल संरक्षण रणनीति में चार घटक शामिल हैं; जल साक्षरता, जल निकायों का पुनरुद्धार, नए जल निकायों का निर्माण और साथ ही वाटरशेड और वनीकरण गतिविधियों का विकास.

जलमृता के अंतर्गत, कर्नाटक सरकार राज्य भर में 14,000 झीलों का पुनरुद्धार कर रही है और इस वर्ष वर्षा जल संचयन के लिए 20000 चेक डेम का निर्माण किया जाना है. कर्नाटक सरकार ने पानी के महत्व पर जोर देने के लिए 2019 को 'जल का वर्ष' घोषित करने का निर्णय लिया है. इस अभियान के तहत, जल संरक्षण, जल निकायों के संरक्षण और पुनरुद्धार से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और अभियानों को सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों और एनजीओ के माध्यम से किया जाएगा.

सेवानिवृत्ति

श्री. एस. मसूद हुसैन
सेवा अवधि
06-मई-1982 से 30-जून-2019

श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, के.ज.आ. 30-06-2019 को सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने 1979 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शैक्षणिक वर्ष के लिए गोल्ड मेडल के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया. बाद में उन्होंने आईआईटी, दिल्ली से जल संसाधन इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की. उन्होंने 1982 में सहायक निदेशक के रूप में सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप 'ए' जॉइन किया. के.ज.आ. के अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने मंत्रालय के कई संगठनों जैसे के.ज.आ., जीएफ़सीसी, एनडबल्यूडीए एवं मंत्रालय में कार्य किया. उन्होंने अतिरिक्त प्रभार पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडबल्यूएमए) के पहले अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.

श्री एन.के. माथुर
सेवा अवधि
05-अप्रैल-1984 से 30-जून-2019

श्री एन.के. माथुर, सदस्य (डीएंडआर), के.ज.आ. 30-06-2019 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए. उन्होंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और रुड़की विश्वविद्यालय (अब आईआईटी रुड़की) से ऑनर्स के साथ जल संसाधन इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर किया. वह अप्रैल, 1984 में केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (सीडबल्यूई) समूह 'ए' सेवा में शामिल हुए. उन्होंने वर्ष 2017 में के.ज.आ. के सदस्य(डीएंडआर) बनने से पहले के.ज.आ., मंत्रालय और जीआरएमबी में विभिन्न पदों पर काम किया.

इतिहास से- श्री कंवर सेन

डॉ. ए.एन. खोसला के बाद डॉ. कंवर सेन, के.ज.आ. (तत्कालीन सीडबल्यूआईएनसी और सीडबल्यूपीसी) के दूसरे अध्यक्ष बने. 02.01.1899 को टोहाना (जिला हिसार) में जन्म के बाद, उन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज, लाहौर और थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, रुड़की (अब आईआईटी रुड़की) मे शिक्षा प्राप्त की. के.ज.आ. में शामिल होने से पहले, उन्होंने पंजाब और बीकानेर राज्य सरकार के साथ काम किया. उन्होंने भाखड़ा परियोजना के तहत पानी का हिस्सा पाने के लिए राजस्थान के मामले को आगे बढ़ाया.

वह 07.04.1949 को के.ज.आ. में शामिल हुए और शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ़ रिक्लेमेशन (यूएसबीआर) की तर्ज पर केंद्रीय जल आयोग में एक विश्व स्तरीय अभिकल्प एवं अनुसंधान विंग स्थापित करने में लगे हुए थे. इस अवधि के दौरान उन्होंने हीराकुंड बांध परियोजना के मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया. वह 17.06.1953 से 15.10.1958 तक के.ज.आ. के अध्यक्ष रहे. इस अवधि के दौरान, आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान, आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गईं. अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने संगठन का काफी विकास देखा, जिसका विस्तार 20 गुना हुआ. उस समय, भारत में कुल जल विद्युत क्षमता का अनुमान केवल 3000 मेगावाट था. उन्होंने इसे बहुत कम माना और वास्तविक क्षमता की पहचान की दिशा में काम किया, जिसे तब से कई गुना

1956 में भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण प्राप्त करते हुए

संशोधित किया गया है और वर्तमान में यह लगभग 148 गीगावॉट है. अपने 80 वर्षों के जीवन काल के दौरान डॉ. कंवर सेन ने 1956 में पद्म भूषण सहित कई सम्मान जीते. उन्होंने 1954-57 के दौरान सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के उपाध्यक्ष और 1956 में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया. उन्हें अमेरिकन सोसायटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ऑनरेरी जीवन सदस्यता और द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजिनियरिंग इंडिया द्वारा ऑनरेरी लाइफ फैलोशिप से सम्मानित किया गया. रुड़की विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्ट्रेट ऑफ इंजीनियरिंग की मानद उपाधि से सम्मानित किया. वह प्रमुख परियोजनाओं जैसे दामोदर घाटी, राजस्थान नहर, हीराकुंड बांध, नर्मदा परियोजना, भाखड़ा बांध आदि में शामिल थे. वह संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ के रूप में नौ साल तक मेकांग विकास परियोजना से भी जुड़े रहे. उन्होंने राजस्थान नहर (अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना-आईआईजीएनपी) की संकल्पना की. राजस्थान सरकार ने आईआईजीएनपी के तहत उनके नाम पर एक लिफ्ट नहर का नाम रखा है.

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री अनुपम प्रसाद, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता(पीएमओ.) - सदस्य
- श्री एच.एस. सेंगर, निदेशक (नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री रवि भूषण कुमार, निदेशक(टीसी & डबल्यूएसई.) - सदस्य
- श्री चैतन्य के.एस., उप निदेशक(आईएसएम2) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर. सम.) - सदस्य
- श्रीमती रजिन्दर पॉल, सहायक निदेशक(राजभाषा) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(डबल्यूएसई) - सदस्य सचिव

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in